

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद भदोही

दिनांक- 19.09.2026

♦ "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम एवं त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान

♦ जानलेवा हमले के मामले में दोषी अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹10,000/- अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

♦ प्रभावी पैरवी एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मा0 न्यायालय द्वारा दोषी अभियुक्त को सुनाई गई सजा

थाना भदोही पर शिकायतकर्ता शमा परवीन द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 25 फरवरी 2025 को मुंशीलाटपुर घंटाघर के पास आरोपी मोहम्मददीन उर्फ शेरा ने पैसे के लेन-देन के विवाद में मेरे पति इरशाद अहमद पर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल पति को ट्रॉमा सेंटर बी०एच०यू० (BHU) रेफर किया गया, प्राप्त तहरीर के अनुसार थाना भदोही पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 98/2025 धारा 109 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के मामले की जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम में एवं *श्री अभिनव त्यागी*, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में *ऑपरेशन कन्विकशन* के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय से अधिकतम एवं त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं श्री प्रवेश तिवारी एडीजीसी अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप श्रीमति पुष्पा सिंह मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, भदोही-ज्ञानपुर द्वारा दिनांक 19.09.2026 को अभियुक्त मोहम्मदीन उर्फ शेरा पुत्र गुलाम मंसूरी निवासी आलमपुर नई बस्ती, थाना भदोही, जनपद भदोही को धारा 109 बीएनएस के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹10,000/- (दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।